फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रमाकान्त बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 89/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3247, 3248, 3249, 1935, 3255, 3261, 3266, 3267, 3268, 3274, 3275, 3279, 3280, 3285 वाके ग्राम टोरडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू उर्फ रमाकांत पुत्र गणपत दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों में रमाकान्त उर्फ गणपत है जो कि सही है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किया गया एवं प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीया के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम रमाकांत पुत्र गणपत दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू उर्फ रमाकांत दर्ज है इसलिए दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रमाकांत के स्थान पर रमाकांत दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	